न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

अपील / आरटीआई / 50 / 2022

श्री अंकित गुप्ता एडवोकेट, ए–90(बी) रणजीत नगर, भरतपुर।

........अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी अति0जिला कलक्टर,भरतपुर

...........रेस्पो0

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश **दिनांक 12.07.2022**

अपीलार्थी श्री अंकित गुप्ता एडवोकेट, ए–90(बी) रणजीत नगर, भरतपुर की यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत लोक सूचना अधिकारी अति0जिला कलक्टर,भरतपुर के खिलाफ सूचना का अधिकारी अधिनियम के तहत प्राप्त हुई है। प्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जरिये प्रार्थना पत्र दिनांक 24.05.2022 से लोक सूचना अधिकारी अति0जिला कलक्टर,भरतपुर से सूचना चाही गई थी, लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रार्थी/अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण यह अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर लोक सूचना अधिकारी लोक सूचना अधिकारी अति0जिला कलक्टर,भरतपुर से रिपोर्ट तलब की गई।

लोक सूचना अधिकारी अति0जिला कलक्टर,भरतपुर से प्राप्त जबाब पत्र क्रमांक/राजस्व/आर0टी0आई0/12/12( )2019/4503 दिनांक 11.7.2022 प्राप्त हुआ जो शामिल पत्रावली किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त जबाब पर गौर किया गया। अपीलान्ट का कथन है कि उसे लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है। लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त जबाब एवं उसके साथ प्राप्त प्रति पत्र क्रमांक/राजस्व/आर0टी0आई0/12/12( )2022/4377 दिनांक 07.07.2022 जिस से जाहिर है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध करादी गई है। अस्तु अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलान्ट (लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त पत्राादि की फोटो प्रति संलग्न) एवं लोक सूचना अधिकारी को प्रेषित की जावे।

(आलोक रंजन)
जिला कलक्टर,
भरतपुर